13

न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

उत्पाद अधिहरण वाद सं0– 24/2017

सरकार बनाम उदय प्रताप सिहं एवं अन्य

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 ....से ....

जिला – रोहतास ....नं0– 24 सन् 2017

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22.5.17	पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक 1153/अप0शा0 दिनांक 02.08.2017 के साथ संलग्न पु0स0अ0नि0 धर्मपुरा का DR 114/17 दिनांक 22.02.17 के अवलोकन से समाधान होने पर कि उजले रंग का स्वीफ्ट डिजायर कार चेचिस सं0– MA3EJKD1500A01373 इंजन नं0– K12MN1846504 शराब के परिवहन कार्य में प्रयुक्त रहा है। अधिहरण वाद की कार्रवाई प्रारंभ कर कारण–पृच्छा की मांग की गई कि तथ्यों नहीं उक्त वाहन का आहिरण कर लिया जाय। उदय प्रताप सिंह द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 20.02.2017 को रात्री करीब 2.30 बजे बलिगॉवा नहर पुलिस के पास उक्त सफेद डिजायर कार को जो बराव की ओर से आ रहा था, पुलिस गश्तीदल को देख कर उस पर सवार तीन व्यक्ति कार छोड़ कर भागने लगे जिन्हे पुलिस दल के सहयोग से खदेर कर पकडा गया और उक्त वाहन की तलासी लेने पर वाहन के आगे वाले काली सीट केनीचे रॉयल स्टेग का एक बोतल, सील खुला हुआ, जिसमें लगभग 740 ML शराब था, बरामद हुआ और डाक्टरी जॉच से पकड़ाए नीचे व्यक्ति द्वारा शराब पिए रहने की बात की पुष्टी हुई। विपक्षी उदय प्रताप सिंह ने अपने कारण–पृच्छा में मुख्य रूप से कथन किया है वही उक्त वाहन का स्वामि है। वाहन से शराब बरामद के बिन्दु पर इनके कारण–पृच्छा के कथन है कि इतना और इस स्थिति में शराब अगर वाहन के अंदर बरामद भी हो तो यह प्रमाणित नहीं होता कि शराब वहन करने के उदेश्य से वाहन प्रयुक्त किया गया। उक्त वाहन से शराब का बरामद होना बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के उपबन्धो का उल्लंघन होने के कारण एक दण्डनीय अपराध है। उक्त अधिनियम के धारा– 56(घ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार यह वाहन अधिहरणीय है।	

बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अध्याय III में मादक द्रव्यों आदि का निषेध वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 13 (ए) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथव शराब का, विनिर्माण बोतल बंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भण्डारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा।

अधिनियम के अध्याय VI में अपराध और शास्ति वर्णित है। धारा 30 के अनुसार जो कोई, इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आदेश अथवा निर्गत अधिसूचना के उपबंध के उंल्लघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट अथवा पास के किसी के सत्र के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधि मान्य अनुज्ञप्ति, परमिट, अथवा पास के बिना मादक द्रव्य अथवा शराब को प्रयोग अथवा उपभोग परिवहन, विनिर्माण , कब्जा, क्रय–बिक्रय, वितरण, संग्रहण आदि कार्य करता है तो वह दण्डनीय अपराध है। धारा 37 के अनुसार किसी स्थान में शराब अथवा मादक द्रव्य का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है।

अधिनियम की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली वस्तुओं का वर्णन है, जिसमें मादक द्रव्य, शराब, बर्तन, औजार उपकरण परिसर, पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन, जिसमें अपराध किया गया हो।

अधिनियम की धारा 58 में समाहर्त्ता द्वारा अधिहरण की शक्ति वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि जिला कलक्टर को यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है तो ऐसी सम्पति को अधिहरण का आदेश पारित कर सकेगा।

अधिनियम की धारा 62 में परिसरों को ध्वस्त करने का आदेश देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्राप्त है।

अतः बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा– 58(घ) के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन स्वीफ्ट डिजायर उजला रंग का, चेचिस नं0– MA3EJKD1500A01373 इंजन नं0– K12MN1846504 सभी ऋणभार से मुक्त अधिहरित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1800/विधि दिनांक 26/5/18

प्रतिलिपि: निदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि: निदेशानुसार जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

26/5/18

उपसमाहर्ता विधि